कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः– 101 /FP/UK/ROAD/146663/2021 :देहरादूनःदिनांकः 20 जुलाई, 2023

सेवा में,

1 वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2 प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय :– दिनांक 10.07.2023 को समय अपरान्ह 3.00 बजे प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के संबन्ध आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

दिनांक 10.07.2023 को समय अपरान्ह 3.00 बजे प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरणों में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करते हुए वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इन महत्वपूर्ण प्रकरणों का शीघ्रताशीघ्र निस्तारण किया जा सके।

संलग्नकः– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के बैठक की कार्यवृत्त

भवदीय,

20/7/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्याः 101 / FP/UK/ROAD/146663/2021 तद्दिनांकित।

1. प्रतिलिपिः–प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त कार्यवृत्त पत्र दिनांक 20–07–2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपिः–प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0, मकान नं0– 171, फेज–1, वसन्त विहार, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9c

दिनांक 10.07.2023 को समय अपरान्ह 3.00 बजे, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के संबंध में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. डा0 समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री रंजन कुमार मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री राजीव धीमान, वन सरंक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. श्री पंकज कुमार मौर्य, परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून)।
5. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

दिनांक 10.07.2023 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं 1. ऋषिकेश–भानियावाला एवं 2. झाझरा–आशारोड़ी में वन प्रकरण के संबंध में बैठक का आयोजन वन मुख्यालय, राजपुर रोड़, देहरादून में किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में अध्यक्ष महादेय की अनुमति से बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

A. परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत रा0रा0–07, झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4–लेन ग्रीनफील्ड रोड़ कनेक्टिविटी

1. परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से पांवटा साहिब–बल्लूपुर को जोड़ते हुए देहरादून में आने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु वन विभाग अन्तर्गत 20.0849 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लंबाई 12 कि0मी0 में से 6.71 कि0मी0 भाग देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कुल 6574 वृक्ष (इसमें साल प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्ग के 4057 वृक्ष भी सम्मिलित हैं) प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 261 वृक्ष (216 गैर फलदार + 45 फलदार) एवं गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 08 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि चूंकि इस परियोजना के वन क्षेत्रान्तर्गत 6.71 कि0मी0 के भाग में 6574 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना हेतु टनल/ ऐलिवेटेड/अन्य विकल्पों पर पुनः विचार किया जाए, जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यून किया जा सके।

B. **परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 07 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.600 तक मौजूदा सड़क के चार लेन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु**

1. परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, ऋषिकेश व जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, ऋषिकेश एवं थानों रेंज में कुल 19.8345 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लंबाई 20.60 कि0मी0 में से 9.170 कि0मी0 भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 215 वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 209 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु 05 ऐलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित हैं।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड़ पर यातायात कम है एवं जाम की स्थिति नहीं होती है। साथ ही इस परियोजना के चौड़ीकरण में कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0–वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के 4–लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

18/07/23

(रंजन कुमार मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।